न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वित्तीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 28/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/22

– : : अनवान् : : –

अपीलार्थी
मोहनलाल पुत्र भैराराम, जाति–मेघवाल, उम्र 38 वर्ष, निवासी– मेघवालो की ढाणी, ग्राम अगडावा तहसील सांचौर जिला जालौर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. श्रीमती किरण पत्नि रामचन्द्र पुत्री भीखाराम, जाति–मेघवाल, निवासी– 733, बी.जे.एस. स्कुल के सामने गांधीपुरा जोधपुर।
2. स्व. मोहनराम पुत्र भीखाराम के कायम मुकामः–
   2/1. अंजु पुत्री मोहनराम
   2/2. मीमली पत्नी मोहनराम, जाति–मेघवाल, निवासी– मेघवालो का बास खारी खुर्द, तहसील औसिया जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बरखिलाफ आदेश/म्यूटेशन प्रविष्टि संख्या 4074 दिनांक 31.12.2021 जो प्रत्यर्थी संख्या 3 तहसीलदार बावड़ी द्वारा म्यूटेशन नं. 4074 दिनांक 12.01.2022 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–
1) श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी।
2) श्री अशोकसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 2।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

— : : निर्णय : : — दिनांक 08/5/26

अपीलार्थी की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत म्यूटेशन संख्या 4074 दिनांक 12.01.2022 को तहसीलदार बावड़ी द्वारा स्वीकृत किया गया है उसके विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 की अन्य खातेदारों के साथ सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 166/3 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 166 रकबा 47 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम नेतड़ा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर में आई हुई थी जो प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 द्वारा अपने हक अधिकारों की कृषि भूमि अपीलार्थी से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बैचान की गई यानि उपरोक्त कृषि भूमि अपने हक हिस्से की भूमि बैचान की गई तथा उक्त भूमि का अपीलार्थी के हक में पंजीबद्ध बेचाननामा निष्पादित किया गया जो उक्त बेचाननामा दिनांक 04.04.2019 को पुस्तक सं. 1 जिल्द संख्या 88 पृष्ठ सं. 81 कम संख्या 201903062100731 पर उपपंजीयक बावडी जिला जोधपुर के यहां पंजीबद्धसुदा हैं उक्त बैचाननामा के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की जगह खेत खसरा नं. 166 व 166/3 की भूमि में अपीलार्थी खरीद की दिनांक से ही खातेदार हो गया तथा अपीलार्थी द्वारा अपने हक में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख की प्रति हल्का पटवारी व तहसीलदार बावड़ी को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रदान की गई जिस पर हल्का पटवारी ने अपीलार्थी को आश्वस्त किया कि उक्त बैचाननामा के आधार पर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया जायेगा जिससे अपीलार्थी आश्वस्त हो गया कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया होगा तथा खरीद के दिन से ही अपीलार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिजकाश्त है परंतु हाल ही दिनांक 11.01.2024 को अपीलार्थी की खातेदारी भूमि पर कुछ व्यक्ति आये और अपीलार्थी की भूमि की ओर हाथों से इशारा करते हुए कुछ बता रहे थे जिस पर अपीलार्थी ने उक्त व्यक्तियों से पुछताछ की तो उन्होंने अपना नाम तो नही बताया लेकिन अपीलार्थी को कहा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

कि खसरा नं. 166/3 व 166 के हक हिस्से की जमीन स्व. मोहनराम की पत्नी मीमली व पुत्री अंजु यानि प्रत्यर्थी संख्या 2/1 व 2/2 द्वारा बेचान की बात कही इसलिए वो उक्त जमीन देखने आये जिस पर अपीलार्थी ने उक्त लोगो से कहा कि उक्त जमीन मोहनराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही स्वंय के हिस्से की व उसकी बहिन प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से की अपीलार्थी को बैचान कर दी गई थी इसलिए अब दोबारा बेचान कैसे हो सकती है परन्तु मौके पर आये व्यक्तियों ने मोहनराम की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में मोहनराम की जगह उसकी पत्नी व पुत्री यानि प्रत्यर्थी संख्या 2/1 व 2/2 का नाम अंकित है जिस पर अपीलार्थी ने तुरन्त पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की नकल मांगी जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 12.01.2024 को नामान्तरकरण संख्या 4074 व जमाबंदी की प्रमाणित नकल दी जो नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को प्रथम बार जानकारी हुई कि स्व. मोहनराम द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा अपीलार्थी को बेचान की गई भूमि के बाबत् अपीलार्थी का नाम बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया बल्कि मोहनराम की मृत्यु होने पर मोहनराम के वारिसान् प्रत्यर्थी सं. 2/1 व 2/2 द्वारा प्रत्यर्थी सं 3 से मोहनराम का फौतेदगी म्यूटेशन पारित करवाते हुए नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जो उक्त आदेश/म्यूटेशन से क्षुब्ध होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है–

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 4074 स्वीकृत दिनांक 12.01.2022 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के साथ गैर कानूनी एवं विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये उक्त म्यूटेशन पारित किया गया है जबकि मोहनराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से की भूमि का हस्तांतरण अपीलार्थी को कर दिया गया था। पंजीबद्ध बेचाननामा को अनदेखा करते हुए जैर अपील म्यूटेशन पारित करने में भारी भूल की है व विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरित जाकर जैर अपील म्यूटेशन पारित किया गया है जो

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

काबिले निरस्त होने से अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमायें। अपीलार्थी द्वारा स्वंय के हक में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा की प्रति माह अप्रैल 2019 में हल्का पटवारी व तहसीलदार बावड़ी को म्यूटेशन पारित करने एवं नाम अमल दरामद करने हेतु दी थी परन्तु हल्का पटवारी व तहसीलदार ने बैचाननामा के आधार पर नाम अंकित नहीं किया। जबकि मोहनराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही व अनदेखी के कारण अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह गया उसका गलत रूप से फायदा उठाकर यानि विधि विरूद्ध तरीके से प्रत्यर्थी को बैचाननामा की जानकारी होते हुए भी बाले–बाले अपने नाम म्यूटेशन पारित करवा लिया जो काबिले निरस्त है। प्रत्यर्थी के नाम पारित म्यूटेशन प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध व शुन्य है उक्त आदेश से किसी प्रकार हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। दिनांक 12.01.2024 को नकल प्राप्त होने की तारीख से उक्त अपील अंदर म्याद प्रस्तुत कर रहा है फिर भी तकनीकि त्रुटियों से बचने के लिये अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिये अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है, जानकारी व नकल प्राप्ति की दिनांक से अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

अन्त में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 4074 दिनांक 31.12.2021 स्वीकृत दिनांक 12.01.2022 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 को आदेश दिया जावे कि अपीलार्थी के हक में निष्पादित पंजीबद्ध वैचाननाामा दिनांक 04.04.2019 के आधार पर अपीलार्थी के नाम म्यूटेशन पारित करते हुए अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावें।

अपर कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपील में रेस्पोडेन्ट / प्रत्यर्थी संख्या 2/1 व 2/2 की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अनवान की अपील कपोल कल्पित व मनगढत आधारो पर प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी को सफलता मिलने की सम्भांवना नहीं है। पद संख्या 2 में अंकित किये गये तथ्य गलत असत्य होने से अस्वीकार है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी एक ही जाति के एवं रिश्तेदार है अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण के पक्ष में जारी म्यूटेशन की जानकारी नहीं होना पूर्ण रूप से गलत है। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि उसके द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित तथाकथित बैचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु हल्का पटवारी एवं तहसीलदार के समक्ष कब, किस तारीख को आवेदन किया गया था, इसके अलावा इस पद में यह कथन गलत अंकित किया है कि वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर अपीलार्थी वक्त खरीद से काबिज है जबकि वास्तव में वादग्रस्त खसरान् की भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा है और प्रत्यर्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते आ रहे है। इसके अलावा उक्त पद में लिखे गये अन्य तथ्य बनावटी है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने मालिकाना हक अधिकरों एवं खातेदारी भूमि को बेचान करने हेतु या बैचान करने के सम्बधं में किसी प्रकार से कोई सम्पर्क नहीं किया। प्रत्यर्थी के पास भरण पोषण हेतु इस वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है और वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। प्रथम तो प्रत्यर्थी संख्या 2/1 के पिता व 2/2 के पति मोहनराम द्वारा अपने मालिकाना हक अधिकार की वादग्रस्त खातेदारी भूमि के सम्बधं में किसी प्रकार का कोई आम मुख्त्यारनामा अन्य किसी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में फर्जी आममुख्तयारनामा बनाकर स्व. मोहनराम के हक अधिकारों के विरूद्ध किया गया वैचाननामा पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध एवं प्रत्यर्थी सं. 2/1 व 2/2 के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य व बेअसर है। फौतदगी नामान्तरकरण पूर्ण रूप से विधि अनुसार दर्ज किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विधि वर्जित सीमा अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में देरी की है तथा देरी करने का कारण प्रतिदिन प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जायें।

अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमाया जायें।

बहस अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क दिया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 166/3 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 रकबा 47 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम नेतड़ा तहसील बावड़ी जिला स्थित है जो प्रत्यर्थी स. 1 व 2 द्वारा अपने हक अधिकारों की कृषि भूमि अपीलार्थी से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान की गई यानि उपरोक्त कृषि भूमि में से अपने हक हिस्से की भूमि बैचान की गई तथा उक्त भूमि का अपीलार्थी के हक में पंजीबद्ध बेचाननामा निष्पादित किया गया जो उक्त बेचाननामा दिनांक 04.04.2019 को पुस्तक सं. 1 जिल्द संख्या 88 पृष्ठ सं. 81 क्रम संख्या 201903062100731 पर उप पंजीयक बावडी जिला जोधपुर के यहां पंजीबद्धसुदा हैं उक्त बेचाननामा के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की जगह खेत खसरा नं. 166/3 व 166 की भूमि में अपीलार्थी खरीद की दिनांक से ही खातेदार हो गया तथा अपीलार्थी द्वारा अपने हक में निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख की प्रति हल्का पटवारी व तहसीलदार बावड़ी को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रदान की गई जिस पर हल्का पटवारी ने अपीलार्थी को आश्वस्त किया कि उक्त बैचाननामा के आधार पर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया होगा। कुछ लोग उक्त जमीन देखने आये जिस पर अपीलार्थी ने

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

उक्त लोगो से कहा कि उक्त जमीन मोहनराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही स्वंय के हिस्से की व उसकी बहिन प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से की अपीलार्थी को बैचान कर दी गई थी इसलिए अब दोबारा बेचान कैसे हो सकती है परन्तु मौके पर आये व्यक्तियों ने मोहनराम की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में मोहनराम की जगह पत्नी व पुत्री यानि प्रत्यर्थीगण का नाम अंकित है जिस पर अपीलार्थी ने तुरन्त पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की नकल मांगी जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 12.01.2024 को नामान्तरकरण संख्या 4074 व जमाबंदी की प्रमाणित नकल दी जो नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को प्रथम बार जानकारी हुई कि स्व. मोहनराम द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा अपीलार्थी को बैचान की गई भूमि के बाबत् अपीलार्थी का नाम बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड अमल दरामद नहीं किया गया बल्कि मोहनराम की मृत्यु होने पर मोहनराम के वारिसान् प्रत्यर्थी सं. 2/1 व 2/2 द्वारा प्रत्यर्थी सं 3 से मोहनराम का फौतेदगी म्यूटेशन पारित करवाते हुए नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया है तथा तहसीलदार बावडी ने विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण दायर किया जो काबिले निरस्तनीय है। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 4074 खारिज किया जाकर पंजीबद्ध विलेख के आधार पर अपीलार्थी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थीगण विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अनवान की अपील कपोल कल्पित व मनगढ़त आधारो पर प्रस्तुत की है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी एक ही जाति के एवं रिश्तेदार है अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण के पक्ष में जारी म्यूटेशन की जानकारी थी फिर भी अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि उसके द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित तथाकथित बैचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु हल्का पटवारी एवं तहसीलदार के समक्ष कब, किस तारीख को आवेदन किया गया था, इसके अलावा इस पद में यह कथन गलत अंकित किया है कि वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर अपीलार्थी वक्त खरीद

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

से काबिज है जबकि वास्तव में वादग्रस्त खसरान् की भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा है और प्रत्यर्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते आ रहे है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने मालिकाना हक अधिकरों एवं खातेदारी भूमि को बेचान करने हेतु या बैचान करने के सम्बधं में किसी प्रकार से कोई सम्पर्क नहीं किया। प्रत्यर्थी के पास भरण पोषण हेतु इस वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है और वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। प्रथम तो प्रत्यर्थी संख्या 2/1 के पिता व 2/2 के पति मोहनराम द्वारा अपने मालिकाना हक अधिकार की वादग्रस्त खातेदारी भूमि के सम्बधं में किसी प्रकार का कोई आम मुख्त्यारनामा अन्य किसी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में फर्जी आममुख्तयारनामा बनाकर स्व. मोहनराम के हक अधिकारों के विरूद्ध किया गया बैचाननामा पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध एवं प्रत्यर्थी सं. 2/1 व 2/2 के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य व बेअसर है। फौतेदगी नामान्तरकरण पूर्ण रूप से विधि अनुसार दर्ज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विधि वर्जित सीमा अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में देरी की है तथा देरी करने का कारण प्रतिदिन प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रस्तुत अपील, धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, राजस्व अभिलेखों, प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को का अध्ययन कर विचार किया गया। अपीलांट ने यह अपीलांट नामान्तरकरण संख्या 4074 दिनांक 12.01.2022 को तहसीलदार बावड़ी द्वारा स्वीकृत के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। ग्राम नेतड़ा तहसील बावड़ी के नामान्तरकरण संख्या 4074 अनुसार खसरा नं. 166 व 166/3 में खातेदार मोहन पुत्र भीखा हिस्सा 1/8 जाति मेघवाल सा. खारी खातेदार के फौत होने पर विरासत् का नामान्तरकरण 1. अंजु पुत्री मोहन हिस्सा 1/16 जाति भांबी 2. मिमली पत्नी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

मोहन हिस्सा 1/16 जाति भांबी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज किया गया है। अपीलांट की ओर से पंजीबद्ध बैचाननामा 04.04.2019 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार खातेदार मोहनराम पुत्र भीखाराम के आममुख्त्यारनामा के आधार पर किरण देवी ने मोहनलाल पुत्र भेराराम को विक्रय विलेख किया गया है। विरासत् का नामान्तरकरण वर्ष 2022 में स्वीकृत हुआ है तथा अपीलांट ने पंजीबद्ध बैचाननामा वर्ष 2019 में करवाया गया है अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के लिये अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में जो कारण बताये गये युक्तियुक्त होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करना यह न्यायालय न्यायहित में उचित मानता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत म्याद अधिनियम की धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना न्यायहित में उचित है ताकि पक्षकारो के मध्य अनावश्यक रूप से वाद बाहुल्यता नहीं बढे।

हमने अपील के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व रेकर्ड का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/1 व 2/2 के पिता मोहनराम व प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती किरण द्वारा खसरा संख्या 166 व 166/3 वाके ग्राम नेतडा, पटवार क्षेत्र नेतडा, तहसील भोपालगढ, नवगठित तहसील बावडी जिला जोधपुर में से अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान किया जाकर अपीलार्थी के हक में दिनांक 04.04.2019 को पंजीबद्ध विक्रय विलेख निष्पादित करवाया गया है जो उक्त दस्तावेज प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती किरण द्वारा स्वयं की ओर से व अपने भाई प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनराम के आममुख्त्यार की हेसियत से निष्पादित करवाया गया है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2/1 व 2/2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि स्व. मोहनराम द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत कभी भी श्रीमती किरण के पक्ष में आममुख्त्यारनामा निष्पादित नहीं किया गया जो कि प्रत्यर्थीगण के उक्त कथन माने जाने योग्य

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

नहीं है क्योंकि वास्तव में मोहनराम द्वारा अपनी बहन किरण को वादग्रस्त भूमि के बाबत आममुख्त्यार नियुक्त नहीं किया जाता तो प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनराम द्वारा अपने जीवन काल में तथा उसकी मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2/1 व 2/2 द्वारा फर्जी आममुख्त्यारनामा की कूट रचना करने के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती या ऐसे फर्जी आममुख्त्यारनामा के आधार पर निष्पादित विक्रय विलेख के विरूद्ध चाराजोही की जाती परंतु प्रत्यर्थी सख्या 2/1 व 2/2 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है जिससे साफ जाहिर है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में आममुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया था और आममुख्त्यारनामा का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनराम के जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि के बाबत अपीलार्थी के हक में पंजीबद्ध विक्रय विलेख निष्पादित किया जा चुका है जो कि विधि अनुसार विक्रय विलेख निष्पादित होने के दिन से ही अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे परंतु उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनराम का देहान्त हो जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 2/1 व 2/2 द्वारा मोहनराम का फौतेदगी म्यूटेशन पारित करवाते हुए अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि म्यूटेशन की कार्यवाही एक मात्र फिस्कल कार्यवाही है जिससे किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है अतः तहसीलदार बावड़ी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4074 विधिवत् जांच किये बिना स्वीकृत किया है जो विधि अनुसार यथावत रखे जाने योग्य नहीं है अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 4074 दिनांक 12.01.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर को पुनः प्रेषित किया

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जाता है कि वह अपीलार्थी के हक में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 04.04.2019 की जांच कर निर्णय पारित करे।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 08/5/26 खुले इजलास में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर